न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी साँवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या – 63/2010 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)(GCMS No.2010/00024)

रामसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

............अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. करनसिंह
3. लालसिंह
4. सुरेश
5. महेश

पुत्रान सुम्मेरा

6. सरनदेयी पुत्री सुक्खो

जाति जाटव निवासी नगला तुला तहसील तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपीलअंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर दिनांक 29.6.2010व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 23.10.2009 ग्राम नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री दुलीचंद शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक – 25.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.6.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कितहसीलदार रूपवास द्वारा मृतक सुम्मेरा के मृत्योपरान्त उसका विरासतन नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 23.10.2009 ग्राम नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर वहक रैस्पोडेन्टस व हिस्सा बराबर बाकी राहिन बदस्तूर दर्ज कर स्वीकार किया गया। जिसको अपीलान्ट रामसिंह के द्वारा तहत अदालत में जरिये अपील चुनौती दी गई तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलधीन आदेश दिनांक 29.6.2010 पारित करते हुये यह मानते हुये कि नामान्तरकरण एक सूक्ष्म कार्यवाही है जिसमें हक हकूकों को तय नहीं

गीय आयुक्त
पुर संभाग, भरतपुर

किया जा सकता अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण है जो मृतक के विधिक वारिसान के नाम खोला गया है जो सही है तदनुसार अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अदालत मातहत का आदेश न्यायसंगत नहीं कहा जा सकते क्यों कि आराजी मुतनाजा में अपीलार्थी 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार काबिज है। जो पूर्व से अपीलान्ट एवं उसके दो भाई सुम्मेरा व रामरतन की समभाग प्रत्येक की सहखातेदारी की आराजी रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये अपीलाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। विवादित आराजी के संबध में पक्षकारान के बीच सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है जिमें न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 30.10.2009 को स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। वाद के विवचाराधीन काल में स्थगन आदेश के बाबजूद खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। यह कि नियमित वाद में कब्जे एवं खातेदारी के महत्वपूर्ण विवाधक तय होने है। अपीलान्ट विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा क्लेम करता है तथा उसी की न्यायालय से घोषणा चाही है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित वाद के रहते नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित कर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने खण्डनाधीन आदेश देने से पूर्व नामान्तरकरण के लिये निर्धारित प्रक्रिया का भी अनुसरण नहीं किया है अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया है तथा मौके पर कब्जे की जांच भी नहीं कराई गई है। मनमाने तरीके से ऊपर के न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करते हुये यकतरफा में खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटी की है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रथमतः संसबधित ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिऐ और 45 दिवस की अवधि पश्चात ही तहसीलदार को क्षेत्राधिकार हासिल होता है इसलिऐ अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधिकार क्षेत्र विहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय तहत ने अपीलान्ट को यदि पक्षकार नहीं मानकर अपील खारिज करने में भारी त्रुटी की है। जो कि अवैधानिक है। माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन होते हुये भी उन्हें प्रकरण में कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। निर्णय अंतर्गत अपील निरस्त योग्य है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के साथ ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2009 द्वारा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इसके बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया गया। अदालत मातहत ने नामान्तरकरण की कार्यवाही को सुक्षम वित्तीय कार्यवाही मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज की है। जबकि विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील प्राधिकारी व राजस्व मण्डल में प्रकरण चल रहे हैं। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 30.10.2009 को स्थगन आदेश भी पारित किया है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज किया है। अतः अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। इस आधार पर वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर भरतपुरका आदेश दिनांक 29.06.2010 एवं आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 13.10.2009 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रत्युतर देते हुये वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जब तस्दीक किया गया था तब किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही था। इसके अलावा विरासत का नामान्तरकरण स्थगित नहीं किया जा सकता। इसके समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने आरआरडी 2002 (वोल्यूम–2) पेज 649 व आरआरडी 2002 पेज 567 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये तर्क दिया है कि न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है, वरन् विरासत का नामान्तरकरण खातेदार की मृत्यु होने के बाद विधिक वारिसान के नाम खोला जाना आवश्यक है। यदि किसी न्यायालय में लम्बित प्रकरण में कोई निर्णय होता है तो निर्णय के अनुसार पुनः नामान्तरकरण खोला जा सकता है। परन्तु इस आधार पर विरासतन नामान्तरकरण न तो रोका जा सकता है तथा न ही स्थगित किया जा सकता है। वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय में अदालत मातहत ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही सूक्ष्म वित्तीय कार्यवाही है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता व अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

रिव्युटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आरबीजे 1995 पेज 55 में उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2010 मे कोई अनियमितता या अवैधानिकता नही है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत मे तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 23.10.2009 के विरूद्ध अपील इस आधार की पेश की गई थी कि विवादित आराजी के संबंध में पक्षकारों के बीच सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद विचाराधीन है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 30.10.2009 को स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा विवादित भूमि मे अपीलान्ट के 1/3 हिस्से की खातेदारी क्लेम कर रहा है। अपीलान्ट द्वारा मीमो ऑफ अपील के साथ जो दस्तावेज संलग्न किये है उनके साथ माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 7080/09 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 30.10.2009 की प्रति पेश की है। जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील संख्या 91/07 ओमप्रकाश वगैरहा बनाम रामसिंह में दिनांक 26.08.2009 को पारित किये आदेश की पालना अग्रिम आदेश तक स्थगित करते हुये विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की आदिनांक की यथास्थिति बनाये रखे जाने व अप्रार्थी को विवादित भूमि को बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत के समक्ष तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 23.10.2009 के विरूद्व अपील पेश की है। दिनांक 23.10.2009 को तहसीलदार रूपवास द्वारा जब अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया तब कोई स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय का नहीं था। यद्यपि यह तथ्य सही है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय उभयपक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन थे। परन्तु विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2010 में उक्त समस्त तथ्यों का हवाला देते हुये आदेश में यह उल्लेख किया है कि पत्रावली में संलग्न नकल नामान्तरकरण व जमाबन्दी से जाहिर होता है कि अपीलाधीन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 169 मृतक सुम्मेरा के फोत हो जाने पर उसकी विरासतन रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के हक में दर्ज कर स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सूक्ष्म वित्तीय कार्यवाही है जिसमें अपीलान्ट के अधिकार/ स्वत्व तय नहीं किये जा सकते। वक्त नामान्तरकरण विवादित भूमि पर किसी भी सक्षम राजस्व न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। अपीलान्ट मृतक सुम्मेरा का भाई होना बताया है। नामान्तरकरण मृतक सुम्मेरा के पुत्र पुत्री के नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया। प्रथम दृष्टया अनीलान्ट/भाई का हक सुम्मेरा की खातेदारी में नहीं बनता। पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय मे दावा विचाराधीन है कि अपीलान्ट अपने स्वत्व/ अधिकारों के माध्यम से तय करवाये। प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलान्ट को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है अर्थात

...गीय आयुक्त
...र संभाग, भरतपुर

अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में समस्त तथ्यों का हवाला देते हुये [illegible] स्पीकिंग निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। [illegible] अपीलान्ट द्वारा मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 30.10.2009 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल ने विवादग्रस्त भूमि की मौके व रिकार्ड की आदिनांक की यथास्थिति बनाई रखी जावे। साथ ही अप्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का बेचान/ हस्तान्तरण नहीं करें। उक्त प्रकरण के अप्रार्थीगण अदालत हाजा में प्रस्तत अपील में रैस्पोडेन्ट ही हैं। ऐसी स्थिति में जब माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अप्रार्थीगण/ रैस्पोडेन्ट को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति व बेचान नहीं किये जाने हेतु पावन्द किया हुआ है व अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 23.10.2009 जो कि विरासतन के आधार पर तहसीलदार, रूपवास द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसमें इस स्तर पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नही है। क्योंकि नामान्तरकरण एक सूक्ष्म वित्तीय कार्यवाही है जिसके माध्यम से हक हकूकों/ स्वत्व तय नहीं होते है। इसके लिये सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित है। अतः इन तथ्यों के परिपेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2010 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2010 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर